संख्या-569 /2025/3755/22-2-2023-17(1331)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र श्री गोबर्धन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-30070/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023), दिनांक 04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र गोबर्धन, जो ग्राम-खोस्टवा, थाना-फूलबहेड़, जनपद- लखीमपुर खीरी का निवासी है। दहेज की मॉग पूरी न होने को लेकर दिनांक 31.05.2009 को बन्दी ने अपनी पत्नी श्रीमती गुड्डा देवी को मारपीट कर हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-670/2009, भा0द0वि0 की धारा-498ए, 302 व 04 डी0पी0एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 04.02.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 23.02.2021 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2021 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी ने दिनांक 05.06.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह 04 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 01 माह 21 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है। बन्दी को रिहा किये जाने पर मृतिका के परिवारजनों में आक्रोश उत्पन्न होगा, जिससे अपराध कारित हो सकता है, बन्दी के परिवार के सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र गोवर्धन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दहेज की मॉग पूरी न होने को लेकर दिनांक 31.05.2009 को बन्दी ने अपनी पत्नी श्रीमती गुड्डा देवी को मारपीट कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

बन्दी महेश पुत्र गोवर्धन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश (बन्दी संख्या-24/2013) पुत्र श्री गोवर्धन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-569/2025/3755(1)/22-2-2023-17(1331)/2023,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- प्रभारी अधीक्षक, जिला कारागार, लखीमपुर खीरी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-569/2025/3755/22-2-2023-17(1331)/2023

दिनांकः 18 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र गोबर्धन, जो ग्राम-खोस्टवा, थाना-फूलबहेड़, जनपद- लखीमपुर खीरी का निवासी है। दहेज की मॉग पूरी न होने को लेकर दिनांक 31.05.2009 को बन्दी ने अपनी पत्नी श्रीमती गुड्डा देवी को मारपीट कर हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-670/2009, भा0द0वि0 की धारा-498ए, 302 व 04 डी0पी0एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 04.02.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 23.02.2021 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2021 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी ने दिनांक 05.06.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह 04 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 01 माह 21 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है। बन्दी को रिहा किये जाने पर मृतिका के परिवारजनों में आक्रोश उत्पन्न होगा, जिससे अपराध कारित हो सकता है, बन्दी के परिवार के सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र गोवर्धन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दहेज की मॉग पूरी न होने को लेकर दिनांक 31.05.2009 को बन्दी ने अपनी पत्नी श्रीमती गुड्डा देवी को मारपीट कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र गोवर्धन, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in